राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 जयपुर,दिनांक: 30 MAR 2022

–:परिपत्र:–

विषय:– राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2017 दिनांक 12.07.2017 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ–साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरा जावेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नही किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जावेगी।

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में स्वंय के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी स्वंय के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी/ग्रेडिंग के Auto Forward/Approval प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जायेगा।

वर्ष 2021–22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नही किये जावेगे। परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की प्रक्रिया पृथक से जारी की जावेगी।

30/3/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प.72/पार्ट–4/निर्देश/ऑ./गो.प्र./2021–22/ 815-64 दिनांक 12-04-2022

प्रतिलिपी:–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत है:–

1 समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक मुख्यलाय/ संभागीय कार्यालय/साधारण बीमा निधि/आरजीएचएस/जिला कार्यालयों को भेजकर लेख है कि विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन भरे जाने हेतु कार्मिक(क–1/गो.प्र) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र/2022 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्मिक विभाग के द्वारा प्रेषित परिपत्र की प्रतिलिपि अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करवावें।

12/04/2022
(किशनाराम ईशरवाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)